Schedule XXI-Form No- 87 (H) 4718 S.N.....

# RECEIPT FOR FEES DEPOSITED FOR SEARCH & COPY

Serial number of application 3719

Date of application 19-7-17

[illegible]

Fees Paid 500/-

Stamp Paper for .....

Date of Deposit .....

Registering Officer

(२)

आवेदन सं० 3719 २० 19-7-17

ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध

जाय,

तथ्य के अनुसार विवरण दें)

को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में नहीं १

म और उससे सम्बध अनुक्रमणियों में ता० 1987 २० से ता० आज तक २० तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद

निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है [illegible]

| नाम संख्या | (क) संपति का विवरण | निष्पादक की तारीख | (ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य | पक्षों के नाम | | दस्तावेज की प्रविष्ट के प्रति निर्देश | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | निष्पादक | दावेदार | जिल्द सं० | वर्ष | पृष्ठ |
| [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | |
| [illegible] | 390 | | 28/35 | 927/701 | 6.25 decimal | | | |

Scanned by CamScanner

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को करने वाले बिक्री अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नही चला है ।

निम्न व्यक्ति में तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया-

(हस्ताक्षर) :- सुनील कुमार

(पदनाम) :-

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने कि

(हस्ताक्षर)

(पदनाम)

कार्यालय

तारीख 24.7.17

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
24.7.17

टिप्पणी :- इस प्रमाण-प्रत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि ओदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही इन्हीं संपत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित सव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल व किये जायेंगे ।

(२) निबन्धन की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टिया देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विशिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वंय करनी होगी । विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वंय तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यलय ने अपेक्षित तलाशी अपने गरराक सावध ानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भुल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा ।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वंय की है और चूँकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूँढें गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छुट के लिए किसी तरह जिम्मेवार न होगा । जिससे उक्त सम्पति पर प्रभाव पड़ता हो ।

कार्यालय जिला निबंधक, जहानाबाद

प्रमाण पत्र सं०.....दिनांक.....

आवेदक श्री.....क तथा अवभर प्रमाण-पत्र द्वारा प्रबंधक....

ADV.

उनके पत्र संख्या .....दिनांक के अलोक में अग्रसरित ।

19.07.2017

निबंधन प

Scanned by CamScanner

| (क) संपति का विवरण | निष्पादक की तारीख | (ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य | पक्षों के नाम | | दस्ता |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | निष्पादक | दावेदार | जिल्द सं० |
| [illegible] 390 | | (वातनि० 28 (O) 35 (N) | [illegible] 927 (O) 701 (N) | [illegible] 12.5 decimal | |

Scanned by CamScanner

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को करने वाले बिक्री अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नही चला है ।

निम्न व्यक्ति में तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया-

(हस्ताक्षर) :- सुनील कुमार

(पदनाम) :-

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने कि

(हस्ताक्षर)

(पदनाम)

कार्यालय

तारीख 16.5.17

मुहर

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

16.5.17

टिप्पणी :- इस प्रमाण-प्रत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि ओदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही इन्हीं संपत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित सव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल व किये जायेंगे ।

(२) निबन्धन की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टिया देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विशिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वंय करनी होगी । विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वंय तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यलय ने अपेक्षित तलाशी अपने गरराक सावध ानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भुल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं ोगा ।

ख) और चूँकि वर्तमान गामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वंय की है और चूँकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहारों और अवगारों ी सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूँढें गये ऐसे संव्यवहारों और अवगारों की छुट लिए किसी तरह जिम्मेवार न होगा । जिससे उक्त सम्पति पर प्रभाव पड़ता हो ।

ालय जिला निबंधक, जहानाबाद

ण पत्र सं०.....256.....दिनांक..13...5...17.....

क श्री.....Sunil Kumar.....क तथा अवभर प्रमाण-पत्र द्वारा प्रबंधक.....

नके पत्र सांख्या .....X.....दिनांक के अलोक में अग्रसरित ।

10/5-2017

निबंधन